30/9/24	वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। तलबा से कहा। नि०डि० सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2019/00170

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:40:23 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रमजान खां बनाम रेशमा व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए प्रकरण संख्याः–91/2019 (GCMS No. 2019/00170)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि चक 11 एसजीएम के पत्थर संख्या 89/363 मु.न. 27 की 0.292 हैक्टर नाली दोयम, पत्थर संख्या 90/363 मु.न. 28 की 0.519 हैक्टर, पत्थर संख्या 91/364 मु.न. 48 की 0.696 हैक्टर, 90/364 मु.न. 40 की 6.173 हैक्टर, 89/364 मु.न. 50 की 3.529 हैक्टर,90/365 मु.न. 52 की 0.682 हैक्टर कुल 11.891 हैक्टर खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 1/10 हिस्सा अंकित है। प्रार्थी व अप्राथी संख्या–01 आपस में भाई बहिन है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के दादा पठाना के नाम से अंकित थी। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। दादा पठाना पुत्र भम्भू खां की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि विरास्तन इन्तकाल संख्या 559 दिनांक 05.01.2018 भम्भू खां का 1/5 हिस्सा बहिब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से विरास्तन दर्ज हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 दोनो का धर्म मुसलमान है तथा दोनों मुस्लिम विधि से शासित होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काश्तकार की मृत्यु होने पर उसके वारिसान उनकी व्यक्तिगत विधि से गवर्न होगें अर्थात काश्तकारों पर उनकी व्यक्तिगत विधि लागू होगी। इसलिये प्रार्थी व अप्रार्थी पर मुस्लिम विधि के मुताबिक एक निर्वसीयतीय मुसलमान की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान को मुस्लिम विधि के मुताबिक भूमि दावेदार एक मात्र भाई और बहिन हो अपने पिता से विरास्तन प्राप्त भूमि में पुत्र को पुत्री से दुगुना भाग मिलता है। उक्त खाता की कुल 11.891 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि में मुस्लिम विधि के अनुसार प्रार्थी 1/5 हिस्सा में 2/3 हिस्सा यानि 1.585 हैक्टर हिस्सा का विधिक रूप से अधिकारी है तथा अपना 1.585 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकित 1.189 हैक्टर को कलमजन कर 1/5 हिस्सा में 1/3 हिस्सा यानि 0.7927 हैक्टर दर्ज करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या–1 अपने हिस्सा को बेचान करने पर उतारू है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान संभव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैरवाद रकबा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित खातेदार काश्तकार है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाना हम उचित नही समझते है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.09.30 16:40:23 IST Reason: SelfAttested	